

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर-16)

क्रमांक: प.8(ग)()/नियम/डीएलबी/५५५२६

जयपुर दिनांक:- २९/०९/२०

आदेश

अनापत्ति प्रमाण—पत्र, लाईसेन्स, परमीशन, स्वीकृति पत्र आदि के सम्बन्ध में जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.8(ग)(22)/नियम/डीएलबी/16/6277 जयपुर दिनांक 13.06.2016 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगमों के लिये आयुक्त द्वारा उपायुक्त को प्रमाण—पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर, वह सक्षम प्राधिकारी है। फॉयर अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी केवल अभिशंषा हेतु सक्षम प्राधिकारी है। अतः मुख्य अग्निशमन अधिकारी की अभिशंषा पर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर उपायुक्त फॉयर अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करेंगे।

C
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()/नियम/डीएलबी/५५५२७-५८

दिनांक:- २९/०९/२०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी आई.टी सैल, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उपनिदेशक(क्षैत्रिय) समस्त स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त समस्त नगर निगम, राजस्थान।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, समस्त नगर निगम, राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

mf
मेरि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामार्शी